

न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी- श्री इन्द्र सिंह राव आई०ए०एस०

प्रकरण संख्या- 05/2016

बउनवान

कन्हैयालाल आयु 60 सान पुत्र श्री रामप्रताप जाति-मीणा निवासी-भडसुई

तहसील-बारां जिला-बारां

(अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार,बारां

(रेस्पोंडेंट)

अपील धारा-75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :-1. श्री पिकेंश जगरवाल, अभिभाषक

(अपीलांट)

2. परोकार सरकार

(रेस्पोंडेंट)

निर्णय दिनांक- 25.09.2019

1- अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां के आदेश दिनांक 28.04.2014 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा-75 भू राजस्व अधिनियम,1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम-भडसुई, तहसील-बारां की आराजी खसरा नम्बर 643 कुल रकबा 0.20 हैक्टर किस्म चारागाह पर अतिक्रमी मानकर 100/-रूपये अर्थदण्ड एंव 30 दिन के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

अपील में लिखा है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यो एवं तथ्यो के विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है। आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अवसर नहीं दिया गया है, ना ही अपीलांट को कभी बेदखल किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने मात्र हल्का पटवारी के बयानो के आधार पर अतिक्रमी माना है जबकि अपीलांट का उक्त वर्णित आराजियात् पर कोई कब्जा नहीं है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 28.04.2014 निरस्त किया जाकर अपीलांट को सजा व जुर्माने से बरी किया जावे।

2- इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर अभिभाषक अपीलांट व परोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

3- बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को ना तो विधिवत नोटिस जारी किया है ना ही सुनवाई व जवाबदेही का कोई अवसर दिया है, एकपक्षीय निर्णय

पारित किया है। निर्णय परफोर्मा पर है जिसे विश्वसनीय नहीं माना जा सकता। अपीलांट का विवादित आराजी पर कोई कब्जा नहीं है, कब्जा काफी समय से छोड़ रखा है। हल्का पटवारी ने अपीलांट को विरुद्ध बिना मौके देखे व कब्जे की जाँच किये बिना अधीनस्थ न्यायालय में रिपोर्ट पेश की गयी है, इसी आधार पर अपीलांट को सजायाब किया गया है, जो विधि विरुद्ध है। वर्तमान में अपीलांट को कोई कब्जा काशत नहीं है ना ही उसके विरुद्ध कोई तावान राशि बकाया है। अपीलांट भविष्य में भी उक्त आराजी पर कभी कब्जा नहीं करने के लिए वचनबद्ध है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 28.04.2014 निरस्त फरमाया जावे।

4- इसके विपरीत परोकार सरकार ने अपीलांट के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को उक्त आराजी पर पूर्व में अतिचार करने पर सम्बत् 2070 में भी बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

5- हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व परोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित किया है। किन्तु बहस के दौरान अभिभाषक अपीलांट का कथन रहा है कि उसने उक्त आराजी से कब्जा छोड़ दिया है, ऐसी स्थिति में अपीलांट के प्रति सहानुभूति व नरमी का रूख अपनाते हुये सशर्त सजा माफ किया जाना उचित समझते है।

6- परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा निर्णय दिनांक 28.04.2014 से पारित बेदखली एवं शास्ति के दण्ड को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 306/2014 में पारित निर्णय दिनांक 28.04.2014 से दी गई सिविल कारावास की सजा इस शर्त पर माफ की जाती है कि अपीलांट विवादित आराजी से कब्जा छोड़ दें तथा तहसीलदार, बारां के समक्ष दो माह में उपस्थित होकर अण्डरटैकिंग पेश कर दे कि उक्त आराजी पर भविष्य में अतिचार नहीं करेंगे तथा तहसीलदार, बारां कब्जा छोड़ने से सन्तुष्ट हो जावे तो अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा निर्णय दिनांक 28.04.2014 से दी गयी सिविल कारावास की सजा माफ की जाती है, अन्यथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां का उक्त निर्णय यथावत रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 25.09.2019 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(इन्द्र सिंह राव)
जिला कलक्टर, बारां

